

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ0ग0)

क्रमांक / 126 / वन अधि0 / अ0गू0अ0 / 2018  
प्रति,

अम्बिकापुर दिनांक 23/01/2018

वनमण्डलाधिकारी  
सरगुजा वन मण्डल अम्बिकापुर  
जिला-सरगुजा (छ0ग0)

- विषय- ग्राम पधरई तहसील मैनापाट जिला सरगुजा में छ0ग0 शारान द्वारा सी0एम0डी0सी0 को खनिज पट्टा की सैध्यांतिक स्वीकृति रकवा 99.350 हे0 (छोटे बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि) क्षेत्र के विरुद्ध वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत फॉरेस्ट क्लीयरेंस प्राप्त करने हेतु दुगुना क्षेत्र 200.00 हे0 में प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराने याबत।
- संदर्भ- (1) कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख सरगुजा का पत्र क्र0/3163/अ0गू0अ0/2017 अम्बिकापुर दिनांक 13.12.2017.  
(2) कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सरगुजा का पत्र क्र0/तक.अधि./418 अम्बिकापुर दिनांक 22.01.2018.

—00—

संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रायोजन हेतु निम्नांकित ग्रामों की निम्नानुसार भू-खण्डों पर वैकल्पिक वृक्षारोपण की अनुमति प्रदान की गई थी।

क्र0	ग्राम	तहसील	पोह0न0	खसरा न0	भूमि का प्रकार	रोपण हेतु आरक्षित क्षेत्र (हे0 में)
1	बरीमा	मैनापाट	07	7	(राजस्व वन भूमि)	1.985
				16	छोटे झाड़ का जंगल	1.235
				25	"	41.108
				41 P	"	0.294
				49	"	1.214
				50	"	1.469
				77	"	1.643
				100	"	1.052
				Total	"	50.000
				2	डाड़केसरा	लखनपुर
218	"	45.255				
221	"	9.525				
Total	"	97.000				
3	रोपाखार	मैनापाट	05	465	"	10.565
				474	"	29.055
				524	"	13.380
				Total	"	53.000
				G. Total		200.000

02/- कार्यालय वन मण्डलाधिकारी सरगुजा वन मण्डल अम्बिकापुर का पत्र क्र०/तक.अधि./418 अम्बिकापुर दिनांक 22.01.2018 के अनुसार उपरोक्त भूमि में से ग्राम रोपाखार तहसील मैनापाट स्थित भूमि खसरा नं० 465, 474 एवं 524 रकबा क्रमशः 10.565, 29.055 एवं 13.380 कुल 53.000 हे० आबंटित भूमि का स्थल निरीक्षण उपवनमण्डलाधिकारी सीतापुर द्वारा की गई है। उपरोक्त जॉच प्रतिवेदन में आबंटित 53.000 हे० राजस्व वनभूमि अत्यंत पथरीला है एवं इसमें मिट्टी की गहराई नगण्य है, अतः यह क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया है।

03/- उपरोक्त कड़िका क्र०-2 में अंकित कारणों से ग्राम रोपाखार में आबंटित भूमि खसरा नं० 465, 474 एवं 524 रकबा क्रमशः 10.565, 29.055 एवं 13.380 कुल 53.000 हे० राजस्व वनभूमि पर दी गई वैकल्पिक वृक्षारोपण योग्य नहीं होने के कारण क्षेत्रीय कार्यालय सी०एम०डी०सी० का पत्र क्र०-अम्बिकापुर/2017-18/920 दिनांक 19.01.2018 के द्वारा ग्राम रोपाखार की भूमि के बदले ग्राम डाड़केसरा स्थित भूमि के लिए आवेदन किया गया है।

04/- जिस संबंध में कार्यालय तहसीलदार लखनपुर का पत्र क्र०/63/कानूनगो/तहसील/2017 लखनपुर के पत्र दिनांक 19.01.2018 के अनुसार उक्त भूमि अतिक्रमण मुक्त है जिसका स्थल जॉच कर पंचनामा एवं ग्राम सभा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अतः सहमति की दशा में ग्राम रोपाखार में आबंटित 53.000 हे० की भूमि को निरस्त करते हुए निम्नांकित भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र०	ग्राम	तहसील	म०ह०न०	खसरा नं०	भूमि का प्रकार	रोपण हेतु आरक्षित क्षेत्र (हे० में)
1	डाड़केसरा	लखनपुर	31	219	(राजस्व वन भूमि) छोटे झाड़ का जंगल	50.586
				218		2.414
				Total		53.000

कलेक्टर  
सरगुजा (छ०ग०)

पृ०क्रमांक / 127 / वन अधि० / अ०मू०अ० / 2018  
प्रतिलिपि:-

अम्बिकापुर दिनांक 23/01/2018

1. अनुविभागीय अधिकारी सीतापुर/उदयपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. उपवनमण्डलाधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय सी०एम०डी०सी० अम्बिकापुर (छ०ग०) की ओर सूचनार्थ।
4. तहसीलदार मैनापाट/लखनपुर की ओर सूचनार्थ। उपरोक्तानुसार राजस्व वन भूमि को छ०ग० शासन वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर  
सरगुजा (छ०ग०)

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ0ग0)

क्रमांक/3163/अ0भू0अ0/2017

अम्बिकापुर, दिनांक 13/12/2017



वनमण्डलाधिकारी,  
सरगुजा वन मण्डल अम्बिकापुर  
जिला-सरगुजा (छ0ग0)

ग्राम पथरई, तहसील मैनपाट जिला सरगुजा में छ0ग0 शासन द्वारा सी0एम0डी0सी0लि0 को खनिज पट्टा की सैध्दातिक स्वीकृति परकबा 99.350 हे0 (छोटे बड़े झाड़ के जंगल भू-मद की भूमि) क्षेत्र के विरुद्ध वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत फॉरेस्ट क्लीयरेंस प्राप्त करने हेतु दोगुना क्षेत्र 200.00 हे0 में प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ:-

कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (भू-अभिलेख) अम्बिकापुर का पत्र क्रमांक 1396/स.अ.भू.अ.  
-2/2016 अम्बिकापुर दिनांक 09.08.2016.

—0—

*Handwritten notes:*  
दस्तावेज  
संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रयोजन हेतु निम्नांकित ग्रामों की निम्नानुसार भू-खण्डों पर वैकल्पिक वृक्षारोपण की अनुमति प्रदान की गई थी।

क्र0	ग्राम	तहसील	प0ह0न0	खसरा न0	भूमि का प्रकार	रोपण हेतु आरक्षित क्षेत्र (हे0 में)
1	बरीमा	मैनपाट	07	7	(राजस्व वन भूमि) छोटे झाड़ का जंगल	1.985
				16	—"	1.235
				25	—"	41.108
				41 P	—"	0.294
				49	—"	1.214
				50	—"	1.469
				77	—"	1.643
				100	—"	1.052
				<b>Total</b>		<b>50.000</b>
2	कंसरा	मैनपाट	05	1387	—"	20.600
				1389P	—"	32.400
				<b>Total</b>		<b>53.000</b>
3	डाडकंसरा	लखनपुर	31	217	—"	42.220
				218	—"	45.255
				221	—"	9.525
				<b>Total</b>		<b>97.000</b>
				<b>G.Total</b>		<b>200.000</b>

*Handwritten signature/initials*

४

02/- अनुविभागीय अधिकारी सीतापुर के न्यायालयीन रा.प्र.क्र. 1/अ-19/2017-18 में दिए गए प्रतिवेदन दिनांक 12.12.2017 के अनुसार उपरोक्त भूमि में से ग्राम केसरा स्थित भूमि खसरा नं. 1387 एवं 1389P रकबा कमरा: 20.600 एवं 32.400 (कुल 53.000 हे० ) भूमि पूर्व में न्यायालय कलेक्टर सरगुजा के रा०प्रक्र०/15-अ-19/2012-13 दिनांक 22.07.2013 द्वारा ट्रेपिकटल फुंट क्रोप अनुसंधान केन्द्र की स्थापना हेतु उप संचालक कृषि विभाग अम्बिकापुर को आवंटित की जा चुकी है एवं तदनुसार वर्तमान राजस्व अभिलेखों में दर्ज है।

03/- उपरोक्त कण्डिका क्रमांक-2 में अंकित कारणों से ग्राम केसरा की भूमि ख.क्र. 1387 एवं 1389P रकबा कमरा: 20.600 एवं 32.400 (कुल 53.000 हे० ) भूमि पर दी गई वैकल्पिक वृक्षारोपण की अनुमति निरस्त की जाती है इस भूमि के बदले निम्नांकित भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र०	ग्राम	तहसील	प०ह०न०	खसरा न०	भूमि का प्रकार	रोपण हेतु आरक्षित क्षेत्र (हे० में)
1.	रोपाखार	मैनपाट	05	465	(राजस्व वन भूमि) छोटे झाड़ का जंगल	10.565
				474	—"—	29.055
				524	—"—	13.380
				<b>Total</b>		<b>53.000</b>

कलेक्टर  
सरगुजा (छ०ग०)

पृ०क्रमांक/3164/अ०भू०अ०/2017

अम्बिकापुर, दिनांक 13/12/2017

प्रतिलिपि:-

1. अनुविभागीय अधिकारी, सीतापुर/उदयपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. उप संचालक, कृषि अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अधिष्ठाता, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
4. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय सी०एम्०डी०सी० अम्बिकापुर (छ०ग०) की ओर सूचनार्थ।
5. तहसीलदार मैनपाट/लखनपुर की ओर सूचनार्थ। उपरोक्तानुसार राजस्व वन भूमि को छ०ग० शासन वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर  
सरगुजा (छ०ग०)